ई-मेल पता : anubhagadhikari10phq@gmail.com द्वारा फैक्स/ई-मे

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज -1

सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001 फोन/फैक्स 0532-2423660/2423659 सीयूजी-94 402010

संख्याः दस-51(पुलिस आरक्षी भर्ती-2018) दिनांकः अप्रैल 30, 019

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद
उत्तर प्रदेश।

विषयः आरक्षी नागरिक पुलिस एवं प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय इस मुख्यालय के समाँक पत्र दिनाँक 19.03.2019 ए 16.04.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस एवं प्र शिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती- 2018 में चयनित किये गये अभ्यर्थियों के सम्ब में कतिपय विन्दुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था :-

(1) रिकूट आरक्षियों के जनपद में आगमन करने के पश्चात् उन्हें(01 ह) के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(2) रिकूट आरक्षियों के आगमन करने के पूर्व में ही प्रशिक्षण केन्द्र में एक स्व ात कक्ष की स्थापना की जायेगी, जिसमें 01 सुयोग्य पुलिस कर्मी की नियुक्ति की जायेगी, जो रिकूट आरक्षियों के आगमन करने पर उनको उचित मार्गदर्शन करायेगा

(3) आगमन के रिकूट आरक्षियों का नामिनल रोल फार्म भरवाये ायेगें, जिस पर नवीनतम् फोटो भी लगवाया जायेगा। एवं सत्यापन से सम्ब धत आधार कार्ड/अन्य आईडी भी प्राप्त कर लिया जाये।

(4) आगमन के समय ही भोजन व्यवस्था हेतु प्रत्येक रिकूट से पुि स प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ द्वारा निर्धारित मेस एडवांस जमा कर ा जायेगा। तथा गहन प्रशिक्षण में भेजे जाते समय भोजन व्यय काटकर शेष धनराशि उसे वापस कर दी जायेगी। समस्त रिकूट आरक्षियों को पुलिस लाइन के अन्दर उनके लिये निर्धारित भोजनालय में ही भोजन करना अनिवार्य होगा।

(5) समस्त रिकूट आरक्षियों के आगमन के अगले दिन रिकूटों की 01 जीरो रेड करायी जायेगी, जिसमें उन्हें पुलिस लाइन का पूर्ण भ्रमण कराया जायेगा तथ जनपद के मुख्यालय में नियुक्त समस्त पुलिस तथा अन्य विभागों के बारे में जा कारी कराई जायेगी।

(6) जनपदीय पुलिस अधीक्षक रिकूटों को वर्दी की वे वस्तुएं उपलब्ध करा गें, जिनकी आपूर्ति पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाती है। उसके अतिरिक्त जो व /सामग्री जनपद स्तर से क्रय करके उपलब्ध कराई जाती है वह भी उपल कर दी जायेगी। वर्दी के साथ ही सभी रिकूट के किट कार्ड बनवा दिये जाये।

(7) जनपद पुलिस अधीक्षक सभी रिकूटों की चरित्र पंजिका भी तैयार करायेगें

(8) प्रारम्भिक प्रशिक्षण की अवधि रिकूटों को विशेष रूप से वर्दी का रख रखाव तथा उसको पहनना, वर्दी तथा सादे कपड़ें में अधिकारियों का अभिवादन क ा सावधान एंव विश्राम बनाना पुलिस अधिकारियों के रैंक एवं अलंकारों का ज्ञान ेड ग्राउण्ड गणना स्थल, भोजनालय एवं बैरक आवास के अनुशासन का विधिवत ान कराया जायेगा।

(9) जिला पुलिस प्रभारी जे0टी0सी0 प्रगति पत्र एवं राजपत्रित अधिकारी द्व ा प्रमाणित फोटो युक्त परिचय पत्र तैयार कराकर रिकूट आरक्षियों के साथ ह सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थाओं को सीधे भेजेगें। परिचय पत्र संस्था द्वारा रिकूट अ रक्षियों को वितरित किये जायेगें।

(10) पुलिस अधीक्षक प्रति सप्ताह कम से कम 01 बार इन रिकूट आरक्षियो र साक्षात्कार करेगें।

2/-

(11) जे0टी0सी0 के मध्य प्रत्येक रिक्रूट आरक्षी(पुरूष / महिला) की निर्धारित वर्दी तैयार करायेगें।

(12) परिचय पत्र बनवाना, बैंक खाता खोलवाना, पीएनओ आवंटन कराना, नेम प्लेट बनवाने का कार्य पुलिस अधीक्षक द्वारा आर0टी0सी0 में भेजने से पूर्व पूर्ण कराया जायेगा।

(13) एन0पी0एस0(न्यू पेंशन स्कीम) से सम्बन्धित प्रशिक्षुओं के समस्त अभिलेख एवं सेवा अभिलेख आर0टी0सी0 मे भेजने से पूर्व तैयार कराना।

(14) रिक्रूट आरक्षियों का प्रान नम्बर(**PRAN NUMBER**) आवंटन आदि की कार्यवाही पूर्ण कराना।

(15) जिन रिक्रूट आरक्षी (पुरूष एवं महिला) के पास आधार कार्ड / पैन कार्ड नहीं उन अभ्यर्थियों के आधार कार्ड / पैन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनवा लिया जाय।

(16) चयनित रिक्रूट आरक्षी (पुरूष एवं महिला) यदि कम्प्यूटर / चार पहिया वाहन चलाने की जानकारी रखता हो तो उससे कम्प्यूटर संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण एवं वैध ड्राविंग लाइसेन्स की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उनके सेवा अभिलेखों के साथ रखते हुए सेवा अभिलेखों में उसका अंकन भी किया जाय।

(17) चयनित रिक्रूट आरक्षी (पुरूष एवं महिला) के नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व अग्रसारित की जाने वाली आख्या को कार्यालय / जनपदीय नोडल अधिकारी प्रमाणित करेगें।

2– अतः निदेशानुसार पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त विन्दुओं के सम्बन्ध में समस्त अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही यथा समय कराने का कष्ट करें।

(डा0अजय पाल)
पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः अपर **पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय उ0प्र0पुलिस तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि** कृपया उक्त पत्र को उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइड **uppolice.gov.in** पर प्रदर्शित(**UP-lod**) कराने की कृपा करें, ताकि सर्व सम्बन्धित को आसानी से इसकी सूचना प्राप्त हो सके।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ।
3–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः–समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया समय–समय पर अपने अधीनस्थ जनपदों में चल रही जे0टी0सी0 का पर्यवेक्षण करते हुए निदेशानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।